राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्नी / सुद्दाराम

तारीख हुक्म	659/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/21		

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/06/2018 के विरुद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 705 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 रकबा 2.6973 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.7573 हैक्टेयर स्थित है। जिसका वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, प्रतिवादी बिना भूमि का विभाजन कराये भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। ऐसे में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाये एवं भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाये। तत्तपश्चात उभयपक्षों को सुनते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसके आधार पर हिस्सा दुरुस्त कर प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के मध्यनजर कुर्रेजात बनाने हेतु निर्देशित किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13/04/2018 को कुर्रेजात प्रस्ताव प्रेषित किये। जिसके आधार पर दिनांक 07/06/2018 को अन्तिम डिक्री की गई जिसके विरुद्द यह अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

अपील प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली तलब कर शामिल मिसल की गई। रेस्पोडेन्ट की और से अधिवक्ता उपस्थित हुये। जिसमे आगामी दिनांक 04/08/2021 नियत थी। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14/07/2021 को पक्षकारो की उपस्थिति में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्षों द्वारा आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत राजीनामा प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रस्तुत किया। अपीलांट की पहचान अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा द्वारा की गई, राजीनामा उभयपक्षों को पढ़कर सुनाया जाकर तस्दीक किया गया। तत्तपश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की राजीनामे पर बहस सुनी गई।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने सर्वप्रथम आदेश 22 नियम 3 सी पी सी की बहस करते हुये मन्नी छोट्या के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की प्रार्थना की एवं दौराने बहस कथन किया कि उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईश के आधार पर राजीनामा हो गया है, जिसके आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्नी / बुद्धाराम

तारीख हुक्म	659/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2018 को निरस्त किया जाकर राजीनामा के साथ सलग्न नजरिये नक्शे अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की जावे। जिससे कि लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपीलान्ट अधिवक्ता के बहस का समर्थन करते हुये अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये राजीनामे अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया सर्वप्रथम उभयपक्षों की सहमती के आधार पर आदेश 22 नियम 3न सी पी सी बाबत मन्नी देवी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तत्तपश्चात हमने राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा मय नजरिये नक्शा न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सी पी सी बाबत राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे द्वारा जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसमे उभयपक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता के माध्यम से यही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2018 को निरस्त फरमाई जाकर राजीनामा मय नक्शा अनुसार अन्तिम डिक्री की जावे। न्यायालय का भी संबंध में यही दृष्टिकोण है कि पक्षकारो के मध्य आपसी समझाईश व लोक अदालत की भावना से प्रकरण का अन्तिम निस्तारण हो जाता है तो वो विधि में सर्वोत्तम निर्णय में शुमार होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र राजीनामा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2018 निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के राजीनामा अनुसार निम्न भूमि बाद विभाजन डिक्री प्रदान कि जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के भूमि खसरा नम्बर 705 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708/1 रकबा 0.1872 हैक्टेयर (14.8 बिस्वा), खसरा नम्बर 708/4 रकबा 0.0202 हैक्टेयर(1.6 बिस्वा), खसरा नम्बर 708/5 रकबा 0.0177 हैक्टेयर(1.4 बिस्वा), खसरा नम्बर 708/6 रकबा 0.8931 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708/8 रकबा 0.1493 हैक्टेयर(11.8 बिस्वा), कुल किता 7 कुल रकबा 1.2875 हैक्टेयर है, जिसे सलग्न नजरिये नक्शे में नील रंग से दर्शाया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
659/2018	मन्नी / बुद्धाराम	

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 4 के हक़ में निम्न भूमि दी गई है खसरा नम्बर 708/2 रकबा 0.1872 हैक्टेयर (14.8 बिस्वा), खसरा नम्बर 708/3 रकबा 0.0202 हैक्टेयर (1.6 बिस्वा), खसरा नम्बर 708/9 रकबा 0.1948 हैक्टेयर (15.4 बिस्वा), खसरा नम्बर 708/10 रकबा 0.8454 हैक्टेयर खसरा नम्बर 707 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.2876 हैक्टेयर जिसे सलग्न नजरिये नक्शे में हरा रंग से दर्शाया गया है |

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 का हिस्सा 1/2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 708/7 रकबा 0.1822 हैक्टेयर में रहेगा, जो शामिल रखा गया है |

अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07/06/2018 निरस्त किया जाकर उपरोक्तानुसार भूमि के विभाजन निर्णय व डिक्री जारी हो | राजीनामा मय नजरिये नक्शा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे |

निर्णय आज दिनांक 17/11/21 को खुले न्यायालय में लिखाया सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर